

Subject to valid registration
valid renewal under
Society Registration Act 1860



नोट: रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन अधिनियम की धारा-52 की उपधारा (3) के अधीन यथावधानित विधिमान्यता अवधि के कम से कम 60 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र संख्या-4 पर आवेदन किया जाना अनिवार्य है।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2006 के अधीन स्वीकृत)

प्रमाण-पत्र संख्या : 1325/2022-23

दिनांक : 11-07-2022

प्रमाणित किया जाता है कि सामाजिक उत्थान समिति..... (संस्था का नाम)
प्रमाण-पत्र संख्या 4213/2017-18.... दिनांक 08-09-2017 द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में रजिस्ट्रीकृत थी। रजिस्ट्रीकरण दिनांक 07-09-2022 को समाप्त होने वाला है/हो गया है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण अग्रतर पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जा रहा है और वह दिनांक 06-09-2027 तक विधिमान्य रहेगा।

यह नवीनीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक11..... (माह) 07 (सन्) 2022..... को हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

Prepared by

.....



सक्षम प्राधिकारी/निदेशक

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ